न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–2 बारां जिला बारां(राज0)

पीठासीन अधिकारी : भूपेन्द्र कुमार मीना, आर0जे0एस0 (डी0जे0 केडर)

आपराधिक विविध सं0 : 120 / 2026

सी.आई.एस. नम्बर : 191 / 2026

सी.एन.आर.नम्बर : RJBR010005352026

1– मुकेश पुत्र रामनिवास आयु 36 वर्ष

2– कोमलप्रकाश पुत्र सियाराम आयु 40 वर्ष

निवासीगण चण्डालिया पुलिस थाना किशनगंज जिला बारां (राज.)

––प्रार्थीगण / अभियुक्तगण–

:: बनाम ::

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, बारां (राज0)

–अप्रार्थी / विपक्षी–

जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
एफ.आई.आर. सं0 28 / 2026, पुलिस थाना किशनगंज जिला बारां
अपराध अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 117(2), 110, 352, 3(5)
भारतीय न्याय संहिता, 2023

उपस्थित :–

1– श्री अमन गोस्वामी, विद्वान अधिवक्ता– प्रार्थी / अभियुक्तगण की ओर से।
2– श्री मदनमोहन नागर, विद्वान अपर लोक अभियोजक– अप्रार्थी / विपक्षी।

–:: आदेश ::– दिनांक :–01.04.2026

1. प्रार्थी / अभियुक्तगण मुकेश व कोमलप्रकाश की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत यह जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना किशनगंज की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 28 / 2026 के संदर्भ में, उनका जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 480 बी.एन.एस.एस. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगंज के द्वारा दिनांक 16.03.2026 को खारिज किये जाने के उपरांत, श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय बारां के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से विधिवत् सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अंतरित होकर प्राप्त हुआ, जिसकी नकल अपर लोक अभियोजक को दिलवायी गई।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.03.2026 को योगेन्द्र सिंह ए.एस.आई. ने राजकीय चिकित्सालय बारां में जैर इलाज भर्ती मजरूब राधेश्याम पुत्र जगराम मीणा ने एक पर्चा बयान इस आशय का दर्ज कराया कि वह गांव चण्डालिया का रहने वाला है, वह अपने खेत में रखवाली कर अपने घर पर जा रहा था कि रास्ते में भभुका से चण्डालिया के रास्ते में हेमराज, मुकेश व कोमल मिले, हेमराज के हाथ में लट्ठ था एवं मुकेश व कोमल के हाथ में कूटिया थे, तीनों ने उसे रास्ते में आडे फिरकर रोक लिया।

हेमराज ने अपने पास के लट्ठ की उसके हाथों, पैरों में मारी व मुकेश एवं कमल ने कूटिया की उसके सिर में मारी, जिससे खून निकल आया और वह नीचे जमीन पर गिर गया तो ये लोग उसके पड़े हुये के साथ लट्ठ व कूटिये से मारपीट की। उस समय पप्पू सहरिया व घांसीलाल सहरिया मौजूद थे, जिन्होंने घटना देखी थी, फिर इन लोगों ने उसके घर पर फोन किया तो उसके लड़के रामराज व विजेन्द्र आये। वह कुछ समय बाद बेहोश हो गया था, फिर ये लोग उसे ईलाज के लिये रेलावन सरकारी अस्पताल ले गये, वहां से बारां अस्पताल में लेकर आये, जहां उसका ईलाज चल रहा है तथा वह होश में आया है। इनके द्वारा मारपीट करने से उसके सिर में, दोनों कंधों पर, बांये पैर में व दोनों हाथों की कोहनी एवं कमर पर चोटें आयी है। उसके दोनों लड़के के आते ही ये तीनों भाग गये थे.....इत्यादि।

3. उक्त पर्चा बयान के आधार पर पुलिस थाना किशनगंज जिला बारां में एफ. आई.आर.संख्या 28/2026 अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 110, 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में दर्ज कर प्रकरण में अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं अब तक के अनुसंधान से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण व अन्य के विरूद्ध धारा 126(2), 115(2), 117(2), 110, 352, 3(5) भारतीय न्याय संहिता का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित माना गया है। प्रकरण में अभी अनुसंधान जारी है।

4. मुताबिक केस डायरी प्रार्थी/अभियुक्त **कोमल मीणा** के विरूद्ध आपराधिक रेकार्ड **'निल'** बताया गया है तथा प्रार्थी/अभियुक्त **मुकेश मीणा** के विरूद्ध पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड इस प्रकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित होना पाया गया :–

क्र0 सं0	मुकदमा नंबर मय थाना	धारा	सी.एस. नं0/दिनांक	फैसला
01	105/2023	341,323 भा.दं.सं.	88/08.05.2023	पेंडिंग कोर्ट

5. बहस जमानत आवेदन सुनी गई तथा तथ्यात्मक रिपोर्ट व केस डायरी का अवलोकन किया गया।

6. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का यह तर्क रहा है प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष है, उनको रंजिशन उक्त प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर लिया है, अब प्रार्थी की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ग्राम चण्डालिया जिला बारां का स्थायी निवासी है, जिनके कहीं फरार होने या भागने का अंदेशा नहीं है। प्रकरण के विचारण एवं निस्तारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए।

7. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

8. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया और केस डायरी मय तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

9. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण मुकेश व कोमल प्रकाश एव अन्य सह–अभियुक्त के विरूद्ध फरियादी/मजरूब राधेश्याम मीणा का सदोष अवरोध कारित कर उसके साथ कूटिये व लट्ठ से मारपीट कर उसके स्वेच्छ्या उपहति कारित करने का आरोप है। अब तक के अनुसंधान से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण व अन्य के विरूद्ध धारा 126(2), 115(2), 117(2), 110, 352, 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अपराध का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित माना गया है। केस डायरी में फरियादी/मजरूब राधेश्याम का चोट प्रतिवेदन प्रपत्र संलग्न है, जिसके अनुसार फरियादी/मजरूब राधेश्याम के शरीर पर कुल 05 चोटें कुंद हथियार से कारित होकर चोट सं0 1, 2, 4 व 5 साधारण प्रकृति की व चोट सं0 3 बांये पैर के घुटने की चपटी हड्डी बाद एक्सरे गंभीर प्रकृति की होना पाई गई है। इस प्रकार मजरूब राधेश्याम के शरीर पर आयी चोटों के प्राणघातक होने के संबंध में कोई चिकित्सकीय राय मौजूद नहीं है। प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को दिनांक 14.03.2026 को गिरफ्तार किया गया था, तब से अभियुक्तगण अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रकरण के विचारण एवं निस्तारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना इस स्तर पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

10. परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **मुकेश** पुत्र रामनिवास एवं **कोमल** प्रकाश पुत्र सियाराम निवासीगण ग्राम चण्डालिया पुलिसथाना किशनगंज जिला बारां (राज.) की ओर से प्रस्तुत किया गया यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा **483 बी.एन.एस.एस.** स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, **किशनगंज** जिला बारां (राज0) की संतुष्टि अनुसार **50–50 हजार रूपये** की **दो** मौतबीर जमानतें एवं **एक लाख रूपये** राशि का स्वयं का मुचलका अग्रलिखित शर्तों के अधीन प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उन्हें नियमानुसार जमानत पर रिहा कर दिया जावे :–

- वह न्यायालय में नियत प्रत्येक पेशियों पर हाजिर रहेंगे,
- ना तो स्वयं, ना ही किसी अन्य द्वारा गवाहान को धमकायेंगे या बरगलायेंगे नहीं।

- आपराधिक कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे।
- पुलिस को अनुसंधान हेतु आवश्यकता होने पर हाजिर होंगे,

तो उन्हें नियमानुसार जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(भूपेन्द्र कुमार मीना)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम–2, बारां (राज0)

11. आदेश आज दिनांक **01.04.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया ।

(भूपेन्द्र कुमार मीना)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम–2, बारां (राज0)